विषय वस्तु

		पृष्ठ
	सिंहावलोकन	viii-xi
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-3
(क)	प्रस्तावना	1-2
(ख)	संगठनात्मक संरचना	2-3
(ग)	संगठनात्मक चार्ट	3
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	4-5
(क)	सत्रों का बुलाया जाना और सत्रावसान	4-5
(ख)	सत्र	4-5
	1. सत्र का बुलाया जाना	4
	2. सत्रावसान	5
(ग)	लोक सभा के चुनाव के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से तेरहवीं लोक सभा)	5
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	6-10
(क)	राष्ट्रपति का अभिभाषण	6
(ख)	अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	6-7
(ग)	अध्यादेश	7-8
(घ)	राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 2005 तक प्रख्यापित अध्यादेश	8-10
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	11-16
(क)	सरकारी कार्य	11
(ख)	सरकारी कार्य की आयोजना	11-12
(ग)	सरकारी कार्य का प्रबंधन	12
(घ)	निष्पादित सरकारी कार्य का सार	12-13
	1. विधायी	12-13
	2. वित्तीय	13
	3. बजट	13
(ङ)	अन्य सरकारी कार्य	13-14
(च)	सरकारी समय का मुख्य आबंटन	14
(छ)	व्यवधान इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	14-15
(ज)	अन्य गैर-सरकारी कार्य	15-16

(ळा) 1952 से 2005 तक संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या 15-16

अध्याय-5 **गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**... 17-26
(क) लोक सभा.. 17-19
(i) स्थगन प्रस्ताव.. 17
(ii) नियम 184 के अधीन प्रस्ताव.................................... 18
(iii) नियम 193 के अधीन चर्चा....................................... 18-19
(ख) राज्य सभा 20-22
(i) नियम 167 के अधीन चर्चा....................................... 20
(ii) नियम 176 के अधीन चर्चा....................................... 20-22
(iii) मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा................................ 22
(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख 22-23
(घ) दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक......................23-24
(ङ) दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान संसद द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 24-25
(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2005 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 25-26

अध्याय-6 **आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)**....................27-31
(क) सामान्य प्रक्रिया... 27
(ख) लोक सभा.. 27-29
(ग) राज्य सभा 29-30
(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई..................... 30-31
(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन..................... 31

अध्याय-7 **लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**........ 32-34
(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले............... 32
(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख............ 32-33
(ग) अनुवर्ती कार्रवाई... 33
(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल) में उठाए गए मामलों पर कार्रवाई.. 34

अध्याय-8 **परामर्शदात्री समितियां**.. 35-37

(क) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.. 35-36

(ख) परामर्शदात्री समितियां.. 37

(ग) रेल क्षेत्रों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां........... 37

अध्याय-9 **अन्य समितियां, बोर्ड, परिषद आदि** 38-39

(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन....................... 38

(ख) हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन..... 38

(ग) याचिका समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.............................38

(घ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई..........38

(ङ) सभा पटल पर कागजात-पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई 39

अध्याय-10 **संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**................ 40-47

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमंडल के विदेश दौरे...40-46

(ख) विदेशों से सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमंडलों का स्वागत करना..46

(ग) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन..46-47

(घ) संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें.................................. 47

(ङ) संसद सदस्यों के विदेश दौरे.. 47

(च) विदेश अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति...47

अध्याय-11 **युवा संसद योजना**... 48-60

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता....48-51

- (i) प्रस्तावना.. 48-50
- (ii) 39वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 50-51

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में 40वीं युवा संसद प्रतियोगिता.. 51

- (i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम.. 51
- (ii) प्रतियोगिता...51

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता...................... 51-53
(i) प्रस्तावना.. 51-53
(ii) पुरस्कार वितरण समारोह.................................. 53
(घ) केन्द्रीय विद्यालयों में अठारहवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता... 53-54
(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम.. 53-54
(ii) प्रतियोगिता.. 54
(ङ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता........... 54-55
(i) प्रस्तावना.. 54-55
(च) जवाहर नवोदय विद्यालयों में नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता... 55
(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम...................................... 55
(ii) प्रतियोगिता.. 55
(छ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.............. 55-56
(i) प्रस्तावना.. 55-56
(ज) विश्वविद्यालयों में आठवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता...... 56-57
(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम...................................... 56
(ii) पुरस्कार वितरण समारोह................................ 56-57
(ळा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता 57-60
(i) प्रस्तावना 57-59
(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता........... 59
(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण 60

अध्याय-12 **संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं**............................ 61-64
(क) वेतन और भत्ते.. 61
(ख) संसद सदस्यों का कल्याण... 61-62
(ग) संसद सदस्यों के लिए परिवहन व्यवस्था........................ 62
(घ) फिल्म शो.. 62
(ङ) संसद की बैठकें देर रात्रि तक बैठने/अन्य अवसरों पर संसद सदस्यों के लिए रात्रि-भोजन की व्यवस्था.......... 62
(च) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य........................... 62
(छ) संसदविदों के लिए खेल कार्यक्रम 63
(ज) संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं/सचेतकों के साथ संपर्क................................. 64

अध्याय-13 **<u>संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता/सचेतक</u>**......65-66
(क) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान......65
(ख) तेरहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन......65
(ग) मुख्य सचेतकों/सचेतकों के लिए सुविधाएं......65-66
(घ) संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक......66

अध्याय-14 **<u>मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग</u>**...... 67-68

अध्याय-15 **<u>सामान्य</u>**...... 69-71
(क) लोक सभा के नेता...... 69
(ख) राज्य सभा के नेता...... 69
(ग) लोक सभा में विपक्ष के नेता...... 69
(घ) राज्य सभा में विपक्ष के नेता 69
(ङ) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव उत्पत्ति ग्रंथ...... 69-70
(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण......70
(छ) विधायी कार्य प्रबंधन पर संयुक्त सचिवों के लिए संगोष्ठी......70
(ज) राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम......71
(ळा) अनुसंधान कार्य......71
(ञ) बजट स्थिति......71

परिशिष्ट

पृष्ठ

परिशिष्ट-1 संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य 72

परिशिष्ट-2 दिनांक 1.4.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान.................73-76
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

परिशिष्ट-3 14वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 206वें सत्र..........77-79
(शीतकालीन सत्र, 2005) की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य
सभा में लम्बित विधेयक

परिशिष्ट-4 दिनांक 01.04.2004 से 31.12.2004 की अवधि के दौरान 80-81
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

परिशिष्ट-5 दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान रेल..........82-86
और सामान्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें)
दर्शाने वाला विवरण

परिशिष्ट-6 दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान................87-94
लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

परिशिष्ट-7 लोक सभा में वर्ष-वार रिकार्ड किए गए, कार्यान्वित किए गए.......... 95
और लंबित आश्वासनों को दर्शाने वाला चार्ट

परिशिष्ट-8 राज्य सभा में वर्ष-वार रिकार्ड किए गए, कार्यान्वित किए गए...........96
और लंबित आश्वासनों को दर्शाने वाला चार्ट

परिशिष्ट-9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री 97-102
समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने
के लिए सितम्बर, 2005 में तैयार की गई मार्ग-निर्देशिका

परिशिष्ट-10 उन मंत्रालयों की सूची, जिनके लिए 14वीं लोक सभा के 103
गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जा चुकी हैं

परिशिष्ट-11 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीख और उनमें...............104-109
चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

परिशिष्ट-12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों; निकायों;...........110-117
परिषदों; बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

परिशिष्ट-13 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति................118-119
(हि.स.स.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

परिशिष्ट-14 संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं..........120-124
दर्शाने वाला विवरण

परिशिष्ट-15 13वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन - सिफारिशें 125-130

परिशिष्ट-16 4-5 फरवरी, 2005 को हैदराबाद में हुए 13वें अखिल 131-133
भारतीय सचेतक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची

परिशिष्ट-17 मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें...............134-135
और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

सिहांवलोकन

विधायी

* 1.1.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की तीन सत्रों में प्रत्येक की 85 बैठकें हुईं। (पृष्ठ 4)

* राष्ट्रपति ने दिनांक 25 फरवरी, 2005 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया। (पृष्ठ 6)

* वर्ष 2005-06 के लिए रेल बजट दिनांक 26 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत किया गया। (पृष्ठ 13)

* वर्ष 2005-06 के लिए सामान्य बजट दिनांक 28 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत किया गया। (पृष्ठ 13)

* चार अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। (पृष्ठ 7)

* संसद के दोनों सदनों द्वारा छप्पन विधेयक पारित किए गए। (पृष्ठ 12)

* वर्ष 2005-06 के लिए गोआ बजट दिनांक 17 मार्च, 2005 को प्रस्तुत किया गया। (पृष्ठ 85)

* वर्ष 2005-06 के लिए बिहार बजट दिनांक 17 मार्च, 2005 और 2 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किया गया। (पृष्ठ 85-86)

नियम 377 के अंतर्गत मामले/नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

* 31.12.2004 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 243 मामले उत्तर के लिए लंबित थे। 01.01.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान अन्य 906 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1149 मामलों में से 707 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 442 मामले लंबित रह गए हैं। (पृष्ठ 33)

* 31.12.2004 को राज्य सभा में किए गए 244 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे। 01.01.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान अन्य 662 विशेष उल्लेख किए गए। कुल 906 विशेष उल्लेखों में से 603 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं, और 303 विशेष उल्लेखों के मामले लंबित रह गए हैं। (पृष्ठ 33)

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

* 15 फरवरी, 2005 को संयुक्त सचिवों के लिए 'विधायी कार्यों का प्रबन्धन' विषय पर एक अर्द्ध-दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। (पृष्ठ 70)

* राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए 15 से 21 अप्रैल, 2005 तक संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम अयोजित किया गया। (पृष्ठ 71)

परामर्शदात्री समितियां

* परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों तथा प्रक्रियाओं पर संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करने के लिए दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की एक बैठक हुई। (पृष्ठ 35)

* मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 2.9.2005 को संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया गया। (पृष्ठ 35)

* दिनांक 27.11.2004 को कोयला एवं खान मंत्रालय के दो मंत्रालयों (i) कोयला मंत्रालय; और (ii) खान मंत्रालय में विभाजन के कारण, दिनांक 17.1.2005 को कोयला मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। खान मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की जा सकीं क्योंकि परामर्शदात्री समिति के गठन के लिए अपेक्षित न्यूनतम सदस्य उपलब्ध नहीं थे। (पृष्ठ 37)

* विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों की 118 बैठकें आयोजित हुई। (पृष्ठ 104-109)

* दिनांक 27.4.2005 को दक्षिण रेल क्षेत्र के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई। (पृष्ठ 37)

विभिन्न सरकारी निकायों और हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

* संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 262 संसद सदस्यों (लोक सभा : 183 तथा राज्य सभा : 79) को नामांकित किया और विभिन्न हिन्दी सलाहकार समितियों पर 53 संसद सदस्यों (लोक सभा : 24 तथा राज्य सभा : 29) को नामांकित किया। (पृष्ठ 38)

कार्यान्वित किये गये सरकारी आश्वासन

* वर्ष 1956 से 2005 तक की समयावधि के दौरान लोक सभा में मंत्रियों द्वारा 79021 आश्वासन और राज्य सभा में 48697 आश्वासन दिये गये। इनमें लोक सभा से संबंधित 76900 आश्वासन (97.32%) और राज्य सभा से संबंधित 47025 आश्वासन (96.56%) सरकार द्वारा पहले ही पूरे कर दिये गये हैं। (पृष्ठ 27-30)

आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन

* उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा में 30 आश्वासनों और राज्य सभा में 49 आश्वासनों के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गये। (पृष्ठ 30)

युवा संसद प्रतियोगिताएं

* मंत्रालय विद्यार्थी समुदाय के लाभार्थ युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। (पृष्ठ 48)

* विभिन्न युवा संसद प्रतियोगिताओं के लिए निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-

(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए रोठक (पश्चिम सिक्किम) और गाचीबाउली (हैदराबाद) में और (पृष्ठ 55)
(ii) विश्वविद्यालयों के लिए मदुरई (तमिलनाडु) में। (पृष्ठ 56)

* जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है। (पृष्ठ 55)

* विश्वविद्यालयों के लिए आठवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है। (पृष्ठ 56)

* 46 विद्यालयों के युवा संसद सत्र आयोजित किए गए, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (एन.सी.टी.) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 40वीं युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया। (पृष्ठ 51)

* केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है। (पृष्ठ 54)

* युवा संसद प्रतियोगिता योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-
(i) नई दिल्ली में दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए;
(ii) केन्द्रीय विद्यालय, साल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और केन्द्रीय विद्यालय, एरनाकुलम (केरल) में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए। (पृष्ठ 51, 53 और 54)

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

* तेरहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 4-5 फरवरी, 2005 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। (पृष्ठ 65)

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के सद्‌भावना शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

* इस मंत्रालय ने संसदविदों के भारतीय सद्‌भावना शिष्टमंडलों के दो दौरे प्रायोजित किए : (i) गुयाना, वेनेजुएला और चिली तथा (ii) बांग्लादेश, थाइलैंड और भूटान (पृष्ठ 40-46)

* इस मंत्रालय ने हंगरी और लीबिया से संसदविदों के सद्‌भावना शिष्टमंडलों को आमंत्रित किया। (पृष्ठ 46)

विदेश जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

* संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश जाने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों पर 24 संसद सदस्यों को नामांकित किया/नामांकन अनुमोदित किया। (पृष्ठ 46-47)

संसदविदों के लिए खेल कार्यक्रम

* इस मंत्रालय ने 2 अवसरों पर संसदविदों के लिए खेल कार्यक्रम आयोजित किए। (पृष्ठ 63)

संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक

* इस मंत्रालय ने त्सुनामी विभीषिका द्वारा उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। (पृष्ठ 64)